

29/3/22

पत्रावली पेश हुई। वकील उग्रयश्वर डारियाल वकील अप्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में उचित विवरणों से संबंधित मान. न्यायालय सजख मॉडल, अजमेर में सु. नं. 3307/2011 विचारधीन है, पुष्टि में मान. न्यायालय के दस्तावेज संलग्न पत्रावली है। वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा० पत्र दिनांक 4-1-22 की प्रति जजल प्रार्थी को ही नहीं - बल्कि प्रा० पत्र से संबंधित भूमियों के संबंध में मान. न्यायालय सजख मॉडल में प्रकाश विचारधीन होने से पूर्व पत्रावली को जाना 'उचित नहीं' होने से

जजल प्रार्थी

Pravaz



निवेदन

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व
अहकाम ज
हुकम की त
में जारी हु

प्राथमिक पत्र खारिज किया जाता है। प्रमाणित प्रमाणित
सुधार होकर नंबर से काम की जावे।

सहायक कलेक्टर एवं
प्रमुख अधिकारी, भूपालसागर
जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)